

रोजगार अवसरों के सृजन में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका : 7वीं से 9वीं योजना के विशेष संदर्भ में

प्रभात कुमार सिंह¹

¹प्रवक्ता—अर्थशास्त्र, कुंवर सिंह पी0जी0कालेज,बलिया, उ0प्र0 भारत

ABSTRACT

सातवीं योजना (1985–90) एक दीर्घकालिक लक्ष्यों वाली योजना थी। इस योजना में विकास के समस्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को सन् 2000 तक पूरा करना था। योजना के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में गरीबी का उन्मूलन, लगभग पूर्ण रोजगार की स्थितियाँ उत्पन्न करना, खाद्य, वस्तुओं आवास जैसी आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रारम्भिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सार्वजनिक स्तर पर सुलभ कराना सम्मिलित था। प्रस्तुत शोध पत्र में उपरोक्त लक्ष्यों के इतर रोजगार सृजन में इन योजनाओं की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है।

KEY WORDS: रोजगारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

रोजगार सृजन के परिप्रेक्ष्य में सातवीं योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (N.R.E.P.) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (R.L.E.G.P.) को जारी रखने और इनके प्रयास पर भी बल दिया गया। इन कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों में 24580 लाख अतिरिक्त श्रम दिवसों के रूप में रोजगार सृजन किया गया। इन कार्यक्रमों का विशेष लक्ष्य यह था कि इनसे उन भूमिहीन श्रमिक परिवारों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी जिनके पास भूमि के रूप में या कोई और आधारभूत संसाधन उपलब्धन न हो।¹

पिछली योजनाओं के मूल्यांकन से स्पष्ट है कि रोजगार के अवसर बढ़ाना भारत की विकास योजनाओं का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। आठवीं योजना भी इस उद्देश्य को सर्वोपरि मानते हुए, इस शाताब्दी के अन्त तक बेरोजगारी को शून्य स्तर पर लाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित थी। यह अनुभव किया गया कि उपलब्ध मानव संसाधनों के अच्छे उपयोग से ही गरीबी कम करने, विषमताओं को दूर करने और आर्थिक-विकास को गति देना सम्भव हो सकेगा। आठवीं योजना के अनुसार 'रोजगार सृजन और आर्थिक विकास एक दूसरे के विरोधी न होकर, परस्पर पूरक हैं। अतः रोजगार के अवसर इस तरह पैदा करने होंगे, जिससे कि आर्थिक विकास की गति में तेजी आ सके।

योजना की रोजगार-रणनीति के सम्बन्ध में स्पष्टतया कहा गया कि "उच्च विकास दर का होना आवश्यक तो है परन्तु उच्च रोजगार वृद्धि के लिए यह पर्याप्त शर्त नहीं है। अधिक रोजगार-क्षमता वाले क्षेत्रों के योगदान से प्राप्त विकास-ढाँचा और श्रम का अधिक प्रयोग करने वाली उत्पादन तकनीकों से रोजगार पैदा करने की क्षमता में वृद्धि होती है। यद्यपि दक्षता उत्पादकता-स्तर और प्रतिस्पर्धा कम किये बिना, तकनीकों को परिवर्तित करने का कार्य सरल

नहीं है। तथापि यह स्वीकार करना होगा कि अर्थव्यवस्था के बड़े भाग कृषि-क्षेत्र, असंगठित विनिर्माणी क्षेत्र और सेवा-क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर बढ़ाने के लिए तकनीकी-उन्नयन (Technological upgradation) आवश्यक है। रोजगार के सुअवसरों में वृद्धि के लिए संगठित विनिर्माणी क्षेत्र सहित सभी उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादकता-स्तर में सुधार लाने की आवश्यकता है।"

आठवीं योजना में रोजगार सृजन की रणनीति का मुख्य आधार कृषि क्षेत्र का तीव्र और भौगोलिक रूप से विविधता पूर्ण विकास करना तय किया गया, ताकि पिछड़े राज्यों का कृषि विकास में अधिक योगदान हो सके। कृषि की दृष्टि से उन्नत राज्यों में श्रम-प्रधान और अधिक आय देने वाली फसलों के उत्पादन पर ध्यान देकर कृषि के विकास का विविधीकरण करना था। कृषि आधारित क्षेत्रों जैसे-डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य और रेशम उद्योग के अधः संरचना और विपणन व्यवस्थाओं का विकास करना तय किया गया है ताकि इन क्षेत्रों की विकास-दर में तेजी लाया जा सके। रोजगार सृजन में अवरोध उत्पन्न करने वाले नियमों, कानूनों और नीतियों की पहचान कर उनमें छूट प्रदान करना, विशेषकर रोजगार कार्यक्रमों (SEPS) में लोचशीलता लाना और क्षेत्रीय विकास के साथ उनको सम्मिलित करने पर भी बल दिया गया, ताकि तीव्र विकास और सतत रोजगार में उनके योगदान को सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही श्रम-प्रशिक्षण-प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने की भी बात की गई, जिससे कि श्रम बाजार में लचीलापन आ सके और रोजगार में लगे व्यक्तियों को कौशल के उन्नयन हेतु अधिक सुअवसर मिल सके एवं स्व-रोजगार में लगे वास्तविक और सम्भाव्य व्यक्तियों में उद्यमशीलता का अधिक विकास किया जा सके।

इस प्रकार इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संवृद्धि और रोजगार सृजन की प्रक्रिया को पूरक माना गया। 01 अप्रैल, 1992 को अनुमानतः 1 करोड़ 70 लाख व्यक्ति खुले रूप से बेरोजगार थे और लगभग 60 लाख व्यक्तियों के पास आधे या उससे भी कम समय के लिए काम था। ऊँची संवृद्धि दर यद्यपि रोजगार विस्तार के लिए आवश्यक है लेकिन मात्र ऊँची संवृद्धि से पर्याप्त रोजगार विस्तार होगा ऐसा आवश्यक नहीं है। रोजगार विस्तार के लिए उत्पादन उन क्षेत्रों में बढ़ना चाहिए जिनकी रोजगार सृजन की क्षमता काफी अधिक है। इस दृष्टि से आठवीं योजना में यह कहा गया था कि “अब पंजाब और हरियाणा में कृषि क्षेत्र में रोजगार लोच अत्यन्त कम होने के कारण रोजगार की गुंजाइश अधिक नहीं है, परन्तु आंध्र प्रदेश, बिहार, म0प्र0, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में कृषि को प्रोत्साहन देने से अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न किया जा सकेगा।”

नौवीं योजना (1997–2002) के दौरान तीव्रगति से बढ़ती हुई श्रम–शक्ति के लिए 1997–2002 की अवधि में 5.2 करोड़ रोजगार के अवसर 2002–07 के दौरान 5.8 करोड़ और 2007–12 के दौरान 5.5 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 6.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य तय किया और समग्र अर्थव्यवस्था की उत्पादन–रोजगार लोच 0.38 आंकी गयी। इसका अन्तिपाय यह है कि सकल देशीय उत्पाद में 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी और योजना में 6.5 प्रतिशत की लक्षित वृद्धि दर के फलस्वरूप रोजगार में 2.47 प्रतिशत की वृद्धि होने की प्रत्याशा की गयी। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की रोजगार क्षमता जो 1997 में बढ़कर 39.14 करोड़ थी। 2002 में बढ़कर 44.15 करोड़ होने की सम्भावना व्यक्त की गयी। इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी की वृद्धि दर जो 1992–97 के दौरान 1.87 प्रतिशत थी, थोड़ी कम होकर नौवीं योजना (1997–2002) के दौरान 1.66 प्रतिशत होने की सम्भावना थी। स्पष्ट है कि यदि नौवीं योजना में प्रत्याशित रोजगार कायम हो जाता है, तब भी अवशिष्ट बेरोजगारों की सं0 जो 1997 में 70 लाख थी, 2002 में भी 70 लाख ही बनी रहेगी, ऐसा अनुमान किया गया।

नौवीं योजना के दौरान रोजगार अवसरों के सृजन की ओर अधिक ध्यान केन्द्रित किया गया। इसलिए विगत योजनाओं के रोजगार सृजन कार्यक्रमों में संशोधन एवं सुधार करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। आठवीं योजना की तुलना में नौवीं योजना में बेरोजगारी की औसत दर में कमी अनुमानित की गयी। यद्यपि आठवीं एवं नौवीं दोनों ही योजनाओं में 70 लाख बेरोजगार दर्शये गये हैं, परन्तु आठवीं योजना में जहाँ उनका प्रतिशत 1.87 था, वहीं नौवीं योजना में 1.66 प्रतिशत रह जायेगा। नौवीं योजना के बाद यानि 2007 तक पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने

का लक्ष्य रखा गया है जो कि तार्किक प्रतीत होता है क्योंकि नौवीं योजना में ही श्रम शक्ति के अपने उच्च शिखर पर पहुँचने की सम्भावना व्यक्त की गयी है। नौवीं योजना के प्रारम्भ में रोजगार वृद्धि दर 2.44 प्रतिशत रखी गयी जो कि आगे चलकर 2.6 प्रतिशत प्रत्याशित है।

योजना आयोग के अनुसार, नौवीं पंचवर्षीय योजना के बाद के वर्षों में बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या और ज्यादा गंभीर होने की सम्भावना है। इसका कारण यह है कि एक ओर तो इन राज्यों में पहले से ही काफी बेरोजगारी है और दूसरी ओर नौवीं योजना के दौरान इन राज्यों में श्रम–शक्ति में तेजी के साथ वृद्धि होने की सम्भावना है। इन कारणों से इन राज्यों में रोजगार विस्तार की समस्या और अधिक गंभीर रूप में विद्यमान है।

मानवीय विकास रिपोर्ट (1996) द्वारा दी गयी सलाह की ओर ध्यान देना प्रासंगिक होगा जिसमें यह कहा गया है कि विकास की अनिवार्य शर्त के रूप में पूर्ण रोजगार की लक्ष्य प्राप्ति में स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि ‘जहाँ रोजगार–जनन सबसे अधिक सफल हुआ है, यह एक संकल्पित रणनीति का परिणाम रहा है। इसके बजाय यदि यह कल्पना किया जाय कि रोजगार अपने आप कायम हो जायेगा, राजनैतिक नेताओं ने इसकी पहचान एक केन्द्रीय नीति–लक्ष्य के रूप में की।’ यहाँ इस पर और बल देते हुए रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, “आर्थिक प्रबन्ध की सर्वोच्च नीति चिन्ताओं के रूप में रोजगार को इसका उचित स्थान देना होगा। सरकारों और ब्रैटन्युड्स संस्थानों (Bretton Woods Institutions) के बीच सहमत–प्राप्त समस्त आर्थिक ढाँचे में रोजगार पर ध्यान आकर्षित करने पर दिया न कि स्फीति, सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि, अल्पकालीन और मध्यकालीन सुधारों और अल्पकालीन राजकोषीय एवं बजट लक्ष्यों पर। उन्हें निश्चित रोजगार–लक्ष्य करने चाहिए जो कि मानवीय विकास और पोषणीय भावी विकास के लिए अनिवार्य है।”

संदर्भ

यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम (1996), ‘‘व्यूमन डेवलपमेन्ट रिपोर्ट’’, 1992, 93.

मिश्र, एस0के0 एवं पूरी, वी0के0, (2001) “भारतीय अर्थव्यवस्था”, पृ0 131.

मिश्र, जगदीश नारायण, (2002) “भारतीय अर्थव्यवस्था”,

पाण्डेय, पी0एन0, ‘सेल्फ एम्पलॉयमेन्ट प्रोग्राम इन इण्डिया’’ (ए स्टडी ऑफ सेल्फ एम्पलॉयमेन्ट स्कीम फॉर एज्यूकेटेड अनेम्प्लॉयमेन्ट), पृ0 19–26.

दत्त, रुद्र एवं सुन्दरम्, के0पी0एम0,(2002) “भारतीय अर्थव्यवस्था”, पृ0 236, 64.